न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत

फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 02/2017

दर्ज दिनांकः 25/04/2017

निर्णय दिनांक : 07/07/2017

श्रीमती गुलाब देवी पत्नि कैलाशचन्द जाट, जाति जाट, उम्र 37 वर्ष निवासीः ग्राम रेनवाल–मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत हरसूलिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.........रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 20.04.2017 सरपंच ग्राम पंचायत हरसूलिया पं. सं. फागी, जिला जयपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 434

उपस्थितः

श्री पुरूषोत्तम शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी स्वयं उप0।

निर्णय दिनांक 07/07/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम न्यायालय के समक्ष इस आशय की पेश की कि जमाबंदी संवत् 2070–2073 के आराजी खाता संख्या 70 के आराजी खसरा नंबर 336 रकबा 29 बीघा 04

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बिस्वा वाके ग्राम जानकीनाथपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी श्रीलाल पुत्र गिर्राज, जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम रेनवाल, तहसील फागी, जिला जयपुर के नाम से हिस्सा 25/146 का 1/2 हिस्सा दर्ज है, जिसको अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पृष्ठ संख्या 1, जिल्द संख्या 360, पृष्ठ संख्या 77, क्रम संख्या 201703284100808 द्वारा क्रय की थी तथा आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को अपीलान्ट द्वारा दी गयी थी। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट का दर्ज कर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत हरसुलिया में नामान्तकरण तस्दीक हेतु प्रस्तुत कर दिया था जिसको ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20/04/2017 को बिना किसी कारण व बिना किसी आधार के एक साधारण प्रविष्टि कि कौरम नामान्तरकरण संख्या 434 खोलने में सक्षम नहीं है अतः अस्वीकार किया जाता है अंकित करते हुये अस्वीकृत कर दिया इसके पूर्व अपीलाण्ट को कोई नोटिस नामान्तकरण के संबंध में जारी नहीं किया गया न ही कोई नामान्तकरण अस्वीकृत करने का कारण दर्शाया है। सरपंच द्वारा अपीलाण्ट से वैमनस्यता दर्शित करते हुये नामान्तकरण अस्वीकृत कर दिया है। अपीलाण्ट द्वारा आराजीयात क्रय करने के बाद से निरन्तंर आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है, विक्रय पत्र में खातेदार द्वारा अपीलाण्ट को कब्जा काश्त संभला दिया था ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण अस्वीकृत कर भारी विधिक त्रुटि की है। यदि ग्राम पंचायत नामान्तकरण संख्या 434 खोलने में सक्षम नही थी तो ग्राम पंचायत का यह विधिक दायित्व था कि वह नामान्तकरण को अस्वीकृत नहीं करते हुये सक्षम अधिकारी तहसीलदार के यहां

उपखण्ड अधिकारी, फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नामान्तकरण को भेजती किन्तु न भेजकर विधिक त्रुटि कारित की है।

अपीलान्ट ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत हरसूलिया का आदेश नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 20/04/2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के हक में विक्रय पत्र दिनांक 22/03/2017 के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट जारी की गई। दिनांक 04.05.2017 को रेस्पोडेन्ट ने जवाब पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फोलोअप कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई।

पक्षकारान को सुना गया।

रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में अपीलान्ट द्वारा क्रेता को दिये गये राशि स्वरूप चेको का भुगतान न होने का कथन करते हुये क्रेता द्वारा नामान्तकरण खोलने बाबत आपत्ति प्रस्तुत करने का कथन करते हुये, नामान्तकरण अस्वीकार किया जाना बताया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् फोटोप्रति जमाबंदी 2070–2073, फोटो प्रति विक्रय पत्र, फोटोप्रति नकल नामान्तकरण संख्या 434, जवाब अपील इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2017 के आराजीयात क्रय की है, जहां तक क्रेता को चैका का भुगतान न होने का प्रश्न है इस बाबत क्रेता को पृथक से कार्यवाही करनी चाहिये।

अपीलान्ट ने आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है इस कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में खोले गये

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नामान्तकरण को कानूनी दृष्टिकोण से अस्वीकार कर त्रुटि की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत हरसूलिया का आदेश संख्या 434 दिनांक 20.04.2017 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर नामान्तकरण निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2017 को सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी